अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०..से..तक

जिला.., सं०.., सन् १९..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	न्यायालय, आयुक्त,कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपीलवाद संख्याः-02/2017 रामानन्द महतो...............................अपीलकर्त्ता -बनाम- बेचनी देवी एवं राज्य...............................रेसपॉण्डेन्ट -:: आदेश ::- प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद रामानन्द महतों, पिता-स्व0 सत्यनारायण महतों, सा0-कमलपुर, थाना-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं0-04/2015-16 में दिनांक-28.12.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। वाद की सुनवाई से अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद के अंतिम निष्पादन में उनकी कोई रूचि नहीं है। अतः Dismiss for default के कारण वाद को खरिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2178/2023/विधि सहरसा, दिनांक 10-8-2023

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपील वाद सं0-02/2017 में दिनांक-07.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं0-04/2015-16 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-06 पन्ना एवं अन्य कागजात-113 पन्ना कुल-119 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

प्रतिलिपिः- रमानन्द महतो, पिता-स्व0 सत्यनारायण महतो / बेचनी देवी, पति-स्व0 नंदलाल रजक दोनों सा0-कमलपुर, थाना-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/8/23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।